

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजि०, नजीबाबाद।

परिवाद संख्या-5496 / 2022

आलम बनाम रफीक उर्फ काला आदि।

08-01-2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। बार-बार पुकार कराए जाने के उपरान्त भी परिवादी अनुपस्थित है तथा उसकी ओर से कोई स्थगन अथवा हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र भी नहीं दिया गया है।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि पत्रावली वास्तें बयान अन्तर्गत धारा 200 द०प्र०सं० हेतु नियत है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 सी०आर०पी०सी० विगत कई तिथियों से नियत चली आ रही है, परन्तु परिवादी द्वारा अपने बयान दर्ज नहीं कराये गये। परिवादी को अपना प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पूर्व में कई अवसर दिये जाने के पश्चात् अपना प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हुये। इस पत्रावली में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी अपने इस परिवाद के निस्तारण पर बल नहीं देना चाहता है। उसके द्वारा कोई हाजरी माफी अथवा मौका का प्रार्थनापत्र भी नहीं प्रस्तुत किया गया है। अतएव परिवादी को अब आगे अन्य अवसर दिया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अभियुक्तगण के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। परिवादी का परिवाद उसकी अनुपस्थिति और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अंतर्गत धारा 203 द०प्र०सं० खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में और पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अन्तर्गत धारा 203 द०प्र०सं० खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

(एकलव्य सरोज)
सिविल जज, जू०डि०/जे०एम०,
नजीबाबाद, बिजनौर।